टैण्डर नोटिस

हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़ द्वारा परिवहन विभाग हरियाणा की नीति के अन्र्तगत बस स्टैण्ड कालका, पंचकुला, बरवाला तथा रायपुररानी हेतू विज्ञापन अनुबन्ध हेतू पत्र क्र0–5714–33/एसटी–ए–3 दिनांक 19.12.07 तथा पत्र क्र0–3837–56/एसटीए–5 दिनांक 23.11.09 द्वारा संशोधित लाईन/क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाली अनुमोदित प्रतिष्ठित, पंजीकृत योग्य कम्पनी/फर्मो से समुचित मोहरबन्द निविदांए आमन्त्रित की जाती है। मोहरबन्द लिफाफों में तकनीकी तथा वित्तीय बोली प्रथक तकनीकी तथा वित्तीय बोली महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़ औधोगिक क्षेत्र फेस–1 चण्डीगढ़ के कार्यालय में दिनांक 14.06.2016 को दोपहर 02:00 बजे तक अवश्य पहुॅच जानी चाहिए जिन्हे दिनांक 14.06.2016 को सांय 02:30 बजे इच्छुक कम्पनी/फर्मो अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिती में खोला जाएगा, यदि वे उपस्थित होना चाहते है। अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी। इच्छुक कम्पनियां व फर्मे टैण्डर फार्म सुबह 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़ के कार्यालय से 1000/–रू0 (अप्रतिदेय) की लागत पर कैश ब्रांच चण्डीगढ़ से प्राप्त कर सकती है। आवेदक अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2016 को सुबह 09:00 बजे से सांय 02:00 बजे तक महाप्रबन्धक, कार्यालय में रखे गये टैण्डर बॉक्स में डाल सकते है। नियमानुसार निर्धारित शर्तो को पुरा न करने वाली निविदा प्रपत्र रद्व कर दिया जायेगा।

विशेषः– **विज्ञापन टैण्डर पाने वाली कम्पनी/फर्म को लोकल बॉडी डिपार्टमैंट द्वारा बनाई गई पॉल्सी जो समय–2 पर बनाई जाती है के नियमों का पालन करना होगा।**

धरोहर राशिः–प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ चण्डीगढ़ पर देय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया चण्डीगढ़ पर प्रतिभुतित महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़ के पक्ष में 10,000/–रू0 केवल की राशि हेतू डिमाण्ड ड्रॉफट संलग्न होना चाहिए। ईएमडी रहित निविदांए विचारनिय नहीं होगी।

निविदा आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अन्य दस्तावेजः–

1. सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी कम्पनी/फर्म के पंजीकर्ण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां।
2. पिछले पांच वर्षो हेतू सम्बन्धित क्षेत्र में अनुभव सम्बन्धि प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
3. पिछले तीन वर्षो की ओडिटिड बैलेंसशीट की सत्यापित प्रतियां।
4. पिछले तीन वर्षो की इन्कम टैक्स रिर्टन एवं सर्विस टैक्स रिर्टन की सत्यापित प्रतियां।
5. कम्पनी के पैन नम्बर की सत्यापित प्रतियां।
6. कम्पनी में सहभागी व्यक्तियों का नाम व पता दुरभाष सहित।

इच्छुक फर्मो को निविदा प्राप्त प्रपत्र जमा करवाने से पहले साईट की भौगोलिक परिस्थिति देखनी चाहिए एवं फर्म को सरकारी, अर्धसरकारी विभाग/बोर्ड/निगम इत्यादि द्वारा कभी ब्लैक लिस्ट न किया गया हो का प्रमाण शपथपत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करने पर किसी भी प्रकार के नुक्सन आदि के लिए कम्पनी/फर्म स्वंय जिम्मेवार होगी।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़।